उत्तरांचल शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–186 /XXVII(7)/2006
दिनांक देहरादून : 08 मार्च, 2006

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय में अब तक विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :

(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के संबंध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;

(ख) "परिलब्धि" से यदि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित हो तो उसके सिवाय, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 भाग 2 से 4 में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान, यदि देय हो, पर देय समुचित मँहगाई वेतन और बाह्य सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन के प्रकार का कोई पारिश्रमिक भी है;

(ग) "परिवार" से

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान अभिप्रेत है।

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक कर दी गयी है या उस समुदाय की, जिसकी वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण–पोषण की हकदार नहीं रह गयी है तो उसे ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली संबंधित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझी जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में लेखा अधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार की सदस्य समझी जाती रहेगी।

निधि से अन्तिम प्रत्याहरणः–

(1) इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है।

आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश का प्ररूप परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

टिप्पणीः–

(अ) अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनॉक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थातः

(क) निम्नलिखित मामलों मेंः

(एक) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्क्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(दो) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठय्क्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहॉ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।

(ख) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य संबंधी के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिये,

(ग) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलॉगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहॉ आवश्यक हो, यात्रा–व्यय भी है, की पूर्ति के लिए।

(ब) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉ यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत वेतन के संबंध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्–

(एक) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिए।

(दो) उसकी मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसको ओवरहाल करने के लिये।

(स) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात–

(क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है;

(ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए;

(ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए,

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये,

(ड) पैतृक गृह का पुनरुद्धार,परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये,

(च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,

(द) अभिदाता तीन वर्ष की सेंवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् अभिदाता द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी/उसके पति के संयुक्त जीवन पर ली गयी जीवन बीमा की चार से अनधिक पॉलिसियों,जिसके अन्तर्गत निधि से अब तक वित्त–पोषित की जा रही पॉलिसिया हैं, के प्रीमियम/प्रीमियमों का निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये।

(ध) अभिदाता की सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पूर्ववर्ती बारह मास् के भीतर निधि से उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि की भूमि या कारोबार की भूमि या दोनों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणी–1 इस नियम के अधीन किसी प्रयोजन के प्रत्याहरण हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित सेवा अवधि में छूट राज्य सरकार द्वारा दी सकती है।

टिप्पणी 12

(1) यदि नियम 13 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय स्वीकृत किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(2) जब अभिदाता अपनी सामान्य भविश्य निधि पास बुक या नियम 27 के अधीन लेखाधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविश्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य के निर्देश में निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी विहित सीमा के भीतर प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृत किसी प्रत्याहरण या अग्रिम को ध्यान में रखेगा। प्रत्याहरण के लिये स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिये और उसकी एक प्रति सामान्य निधि पास बुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी ।

(3) साधारणतया अभिदाता को कोई अग्रिम उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किसी विशेष मामले में जिसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो उसे स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी को यह सुनिश्चत करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि अग्रिम/प्रत्याहरण की धनराशि नियम 24 के उप नियम (4) या उप नियम (5) के खण्ड (ख) के जो भी लागू हो, के अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक रूप से समायोजित की जाय।

17 प्रत्याहरण की शर्तें :

(1) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है:

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी :– नियम 20 के अधीन अग्रिम/आहरण, अन्तिम भुगतान/भुगतान के लिये समस्त अनुरोधों को ध्यान से संवीक्षा की जायेगी और ऐसे मामलों में जहाँ अधिक भुगतान हुआ हो, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो तो, प्रशासनिक और लेखा प्राधिकारियों दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

12 प्रेरक बोनस योजना : शासन की नीतियों के अधीन प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

13 निधि से अग्रिम :

(1) श्रेणी "घ" के लिये कार्यालयाध्यक्ष तथा शेष के लिये नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, उपनियम (2), (3), (4), (5), (6) या (7) में उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी अभिदाता को निधि में उसके खाते में जमा धनराशि से अस्थायी अग्रिम (पूर्ण रुपये में) दिया जा सकता है।

टिप्पणी :– आवेदन पत्र तथा स्वीकृति आदेश का प्ररूप परिशिष्ट "क" पर दिया गया है।

(2) कोई अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जब तक स्वीकृति प्राधिकारी का समाधान न हो जाय कि आवेदक की आर्थिक परिस्थितियाँ उसको न्यायोचित ठहराती हैं और कि उसका व्यय निम्नलिखित उद्देश्यों पर, न कि अन्यथा किया जायेगा, अर्थात––

(एक) बीमारी, प्रसवावस्था या विकलांगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो, अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति पर,

(दो) उच्च शिक्षा के व्यय की पूर्ति पर जिसके अन्तर्गत यदि आवश्यक हो, अभिदाता उनके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति का निम्नलिखित दशाओं में यात्रा व्यय भी है, अर्थात :–

(क) हाई स्कूल स्तर के बाद शैक्षिक, प्राविधिक वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(ख) हाई स्कूल स्तर के बाद भारत में चिकित्सा, अभियन्त्रण या अन्य प्राविधिक या विशेषित पाठ्यक्रम।

(तीन) अभिदाता की परिस्थिति के अनुकूल पैमाने पर आबद्ध कर व्यय की पूर्ति पर जिसे अभिदाता द्वारा रुढिगत प्रभाव के अनुसार अभिदाता के नियम के संबंध में भी उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य व्यक्ति के विवाह, अन्त्येष्टि या अन्य गृह कर्म के संबंध में उपगत करना हो,

(चार) अभिदाता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित विधिक कार्यवाहियों के व्यय की पूर्ति पर,

(पाँच) अभिदाता के प्रतिवाद के व्यय की पूर्ति पर, जहाँ वह अपनी ओर से किसी तथाकथित पदीय कदाचार के संबंध में जाति में अपना प्रतिवाद करने के लिये किसी विधि व्यवसायी को नियुक्त करे,

(छः) गृह या गृह स्थान के लिये या उसके निवास के लिये गृह निर्माण या उसके गृह के पुनर्निमाण, मरम्मत या उनमें परिवर्द्धन या परिवर्तन के लिये या गृह निर्माण योजना जिसके अन्तर्गत स्व–वित्त पोषित योजना भी है, के अधीन किसी विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, आवास परिषद या गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा उसे गृह स्थान या गृह के आवंटन के लिये भुगतान करने के लिये व्यय या उसके भाग की पूर्ति पर,

(सात) अभिदाता के उपयोग के लिये मोटर साइकिल, स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है), साइकिल, रेफ्रीजरेटर, रूम कूलर, कुकिंग गैस कनैक्सन या वाशिंग मशीन, इन्वर्टर, टेलीविजन सेट, कम्प्यूटर सेट की लागत एवं घरेलू फर्नीचर की खरीद के व्यय की पूर्ति पर,

परन्तु राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में उपखण्ड (एक) से (सात) में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजन के लिये किसी अभिदाता को अग्रिम का भुगतान करने की स्वीकृति दे सकते हैं, यदि राज्यपाल उसके समर्थन में दिये गये औचित्य से संतुष्ट हो जायें।

(3) स्वीकृति प्राधिकारी अग्रिम देने के लिये उसके कारणों को अभिलिखित करेगा।

(4) विशेष कारणों के सिवाय कोई अग्रिम–

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगा, या

(दो) तब तक नहीं दिया जायेगा, जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अंतिम प्रतिदान करने के पश्चात् कम से कम बारह मास व्यतीत न हो जाय।

परन्तु जब तक पहले से दी गयी किसी अग्रिम धनराशि तथा आवेदित नयी अग्रिम धनराशि का योग प्रथम अग्रिम देने के समय खण्ड (एक) के अधीन अनुमन्य धनराशि से अधिक न हो तब तक द्वितीय अग्रिम या अनुवर्ती अग्रिमों की स्वीकृति के लिये विशेष कारणों की अपेक्षा नहीं की जायेगी और ऐसे अग्रिम श्रेणी "घ" के लिये कार्यालयाध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, वर्ग "ग" के प्रकरण में जिले में विभाग का सर्वोच्च अधिकारी/नियुक्ति प्राधिकारी यदि ऐसा न हो तो मण्डल स्तरीय अधिकारी तथा ऐसी स्थिति न होने पर राज्य स्तरीय अधिकारी वर्ग "ख" एवं "क" के लिये विभागाध्यक्ष द्वारा तथा विभागाध्यक्ष या जिनकी रिर्पोटिंग सीधे शासन स्तर पर है शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा जहाँ ऐसे अधिकारियों का अधिष्ठान देखा जाता है द्वारा स्वीकृत किये जा सकते हैं भले ही खण्ड (दो) में उल्लिखित शर्त की पूर्ति न होती हो।

स्पष्टीकरणः— इस परन्तुक में पद "पहले से दी गयी अग्रिम धनराशि" का तात्पर्य वास्तव में दी गयी धनराशि या धनराशियों से है, न कि किसी प्रतिदान के पश्चात् विद्यमान अतिशेष से।

(तीन) विशेष कारणों के लिये स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम की अधिकतम् सीमा जमा धनराशि के 3/4 से अधिक नहीं होगी, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के नियम–81 के उपनियम (3) का पूर्णतः पालन किया जायेगा।

(5) यदि किसी पूववर्ती अग्रिम की अंतिम किस्त के प्रतिदान की पूर्ति के पूर्व उपनियम (4) के अधीन कोई अग्रिम स्वीकृत किया जाय तो किसी पूर्ववर्ती अग्रिम के वसूल न किये गेये शेष को इस प्रकार स्वीकृत अग्रिम में जोड़ दिया जायेगा और वसूली की किस्ते संहत धनराशि के निर्देश में होगी।

(6) किसी अग्रिम की धनराशि का निर्धारण करने में स्वीकृति प्राधिकारी निधि में अभिदाता के खाते में जमा धनराशि पर सम्यक ध्यान देगा। यदि कभी अभिदाता अपने सामान्य भविष्य निधि पासबुक या नियम 27 के अधीन लेखा अधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविष्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य सहित निधि में अपने जमाखाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी सीमा के भीतर अग्रिम स्वीकृत कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता को पहले से स्वीकृत किसी अग्रिम या प्रत्याहरण को ध्यान में रखेगा। अग्रिम की स्वीकृत में सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या अवश्य इंगित होना चाहिए और उसकी एक प्रति सामान्य भविष्य निधि पास बुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

(7) साधारणतया अभिदाता को कोई अग्रिम उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा। किसी विशेष मामले में जसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो, उसको स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को एवं अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा लेखाधिकारी को तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अग्रिम की धनराशि यदि सेवानिवृत्ति के पूर्व अभिदाता से पूर्ण रूप से वसूल न की गयी हो तो सम्यक रूप से उसका समायोजन नियम–24 के उपनियम (4) या उपनियम (5) के खण्ड (ख) के जो भी लागू हों, अधीन उसको भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति किया जायेगा।

14–अग्रिमों की वसूली:

(1) अभिदाता से किसी अग्रिम की वसूली ऐसी बराबर मासिक किस्तों की संख्या में की जायेगी जैसा स्वीकृति प्राधिकारी निर्देश दे किन्तु ऐसी संख्या बारह से कम, जब तक अभिदाता ऐसा न चाहे, और चौबीस से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में जहाँ अग्रिम की धनराशि नियम 13 के उपनियम (4) के अधीन अभिदाता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, स्वीकृति प्राधिकारी किस्तों की संख्या निर्धारित कर सकता है जो चौबीस से अधिक किन्तु किसी भी मामले में छत्तीस से अधिक नहीं हो। प्रत्येक मामले में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किस्तें ऐसी रीति से निर्धारित की जाय कि अग्रिम की समस्त धनराशि अधिक से अधिक अभिदाता की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के दिनांक से पूर्ववर्ती छः मास तक वसूल हो जाये। कोई अभिदाता अपने विकल्प पर एक मास में एक से अधिक किस्तों का प्रतिदान कर सकता है। प्रत्येक किस्त पूर्ण रुपयों, में होगी, ऐसी किस्तों का निर्धारण करने में अग्रिम की धनराशि को, यदि आवश्यक हो, तो बढ़ाया या कम किया जा सकता है।

(2) वसूली नियम 10 में विहित रीति से की जायेगी और उस मास के जिसमें अग्रिम आहरित किया गया हो अनुवर्ती मास के लिए वेतन दिये जाने से प्रारम्भ होगी। जब अभिदाता जीवन निर्वाह अनुदान प्राप्त कर रहा हो या किसी कैलेण्डर मास में उस दिन या इससे अधिक के लिए छुट्टी पर हो जिसमें न तो कोई छुट्टी वेतन मिलता हो और न यथास्थिति, आधा-वेतन के बराबर छुट्टी वेतन या अर्द्ध औसत वेतन मिलता हो तब वसूली सिवाय अभिदाता की सम्मति के नहीं की जायेगी। अभिदाता को दिये गये वेतन के किसी अग्रिम की वसूली के दौरान अभिदाता के लिखित अनुरोध पर निधि से लिऐ गये अग्रिम की वसूली प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि कोई अग्रिम अभिदाता को स्वीकृत किया गया हो और उसके द्वारा आहरित कर लिया गया हो और बाद में प्रतिदान पूरा होने के पूर्व अग्रिम नामंजूर कर दिया जाय तो प्रत्याहृत धनराशि का सम्पूर्ण या अतिशेष अभिदाता द्वारा निधि में तुरन्त प्रतिदान कर दिया जायेगा। स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अभिदाता के मूल वेतन से एकमुश्त या बारह से अनधिक ऐसी मासिक किस्तों में जैसा किसी अग्रिम की, जिसके दिये जाने के लिए नियम–13 के उपनियम (4) के अधीन विशेष कारण अपेक्षित हों, स्वीकृति के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश दिया जाय, कटौती करके वसूल किये जाने का आदेश दिये जायेगा।

(4) इस नियम के अधीन की गयी वसूलियाँ उसी प्रकार निधि में अभिदाता के लेखे में जमा की जायेंगी जिस प्रकार वे की गयी हों।

15–अग्रिम का दोषपूर्ण उपयोग:

इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी यदि स्वीकृति प्रधिकारी का समाधान हो जाय कि नियम 13 के अधीन निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि का उपयोग उस प्रयोजन से, जिसके लिए स्वीकृति अभिलिखित की गयी हो, भिन्न प्रयोजन के लिए किया गया हो तो वह अभिदाता को निधि में प्रश्नगत धनराशि का प्रतिदान तुरन्त करने का निर्देश देगा, यह चेक करने पर अभिदाता की परिलब्धियों से एकमुस्त कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा और यदि प्रतिदान की जाने वाली कुल धनराशि अभिदाता की परिलब्धियों के आधे से अधिक हो तो वसूली ऐसी मासिक किस्तों में की

Non Refundable

16. निधि से अन्तिम प्रत्याहरण:–

(1) इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है।

टिप्पणी:– आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश का प्ररूप परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

(अ) अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनाँक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात:

(क) निम्नलिखित मामलों में:

(एक) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्क्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(दो) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठय्क्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहाँ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।

(ख) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य संबंधी के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिये,

(ग) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलाँगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहाँ आवश्यक हो, यात्रा–व्यय भी है, की पूर्ति के लिए।

(ब) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनाँक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत वेतन के संबंध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्–

(एक) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिए।

टिप्पणी–2

(दो) उसकी मोटर कार, मोटर साइकिल या स्कूटर की व्यापक मरम्मत या उसको ओवरहाल करने के लिये।

(स) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनाँक के पूर्ववर्ती दस वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थात्–

टिप्पणी–3

(क) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उपयुक्त मकान या तैयार फ्लैट के अर्जन के लिए जिसके अन्तर्गत भूमि का मूल्य भी है;

टिप्पणी–4

(ख) उसके आवास के लिए उपयुक्त मकान बनाने या उयुक्त मकान या तैयार बने फ्लैट के अर्जन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए;

टिप्पणी–5

(ग) उसके आवास के लिए, मकान बनाने के लिए भूमि क्रय करने या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण के मद्दे किसी बकाया धनराशि का प्रतिदान करने के लिए,

(घ) अभिदाता द्वारा पहले से स्वामित्व में रखे गये या अर्जित किये गये मकान या फ्लैट के पुनर्निर्माण करने या उसमें परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये,

टिप्पणी–6

(ङ) पैतृक गृह का पुनरुद्धार, परिवर्धन या परिवर्तन या अनुरक्षण करने के लिये;

(च) उप खण्ड (ग) के अधीन क्रय किये गये स्थान पर मकान बनाने के लिये,

(द) अभिदाता तीन वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् अभिदाता द्वारा अपने स्वयं के जीवन पर या अभिदाता और उसकी पत्नी/उसके पति के संयुक्त जीवन पर ली गयी जीवन बीमा की चार से अनधिक पॉलिसियों, जिसके अन्तर्गत निधि से अब तक वित्त–पोषित की जा रही पॉलिसिया हैं, के प्रीमियम/प्रीमियमों का निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि से भुगतान करने के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणी–

(ध) अभिदाता की सेवानिवृत्ति के दिनाँक के पूर्ववर्ती बारह मास् के भीतर निधि से उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि की भूमि या कारोबार की भूमि या दोनों का अर्जन करने के प्रयोजन के लिये।

टिप्पणी–1 इस नियम के अधीन किसी प्रयोजन के प्रत्याहरण हेतु अपरिहार्य परिस्थितियों में निर्धारित सेवा अवधि में छूट राज्य सरकार द्वारा दी

टिप्पणी–2 इस नियम के अधीन एक प्रयोजन के लिये केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी, किन्तु विभिन्न संतानों का विवाह या विभिन्न अवसरों पर बीमारी या गृह या फ्लैट में ऐसा अग्रेतर परिवर्द्धन या परिवर्तन करने के लिये जो उस क्षेत्र की जिसमें ऐसा गृह या फ्लैट स्थित हो नगरपालिका निकाय द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित नये नक्शे के अनुसार हो,या जीवन बीमा की पॉलिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान और विभिन्न वर्षो में संतानों की शिक्षा को एक ही प्रयोजन नहीं समझा जायेगा। यदि दो या अधिक विवाह साथ–साथ सम्पन्न किये जाने हों तो प्रत्येक विवाह के संबंध में अनुमन्य धनराशि का अवधारण उसी प्रकार किया जायेगा,मानों एक के पश्चात् दूसरा प्रत्याहरण पृथक–पृथक स्वीकृत किया गया हो।

टिप्पणी–3 एक ही गृह को पूरा करने के लिये खण्ड (स) के उपखण्ड (क) या (ख) के अधीन द्वितीय या अनुवर्ती प्रत्याहरण की अनुमति टिप्पणी–5 के अधीन निर्धारित सीमा तक दी जायेगी।

टिप्पणी–4 जीवन बीमा की समस्त पॉलिसियों के प्रीमियम/प्रीमियमों के भुगतान के लिये एक वर्ष में केवल एक प्रत्याहरण की अनुमति दी जायेगी।

टिप्पणी–5 ऐसा अभिदाता जो वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5,भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये किसी अग्रिम का लाभ उठा चुका हो या जिसे इस संबंध में किसी अन्य सरकारी स्रोत से कोई सहायता प्राप्त हो गयी हो, खण्ड (स) के उपखण्ड (क), (ग), (घ) और (च) के अधीन उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये और नियम 17 के उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त नियमों के अधीन लिये गये किसी ऋण के प्रतिदान के प्रयोजन के लिये भी अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी–6 ऐसा गृह, फ्लैट या गृह के लिये स्थल जिसके लिये उपर्युक्तानुसार, धनराशि प्रत्याहृत करने का प्रस्ताव है, अभिदाता के ड्यूटी के स्थान पर या सेवानिवृत्ति के पश्चात् उसके आवास के अभिप्रेत स्थान पर स्थित होगा। यदि अभिदाता के पास कोई पैतृक गृह है या उसने सरकार से लिये गये ऋण की सहायता से अपनी ड्यूटी के स्थान से भिन्न स्थान पर गृह निर्माण कर लिया है तो वह अपनी ड्यूटी के स्थान पर किसी गृह स्थल के क्रय के लिये या किसी अन्य गृह के निर्माण के लिये तैयार बने फ्लैट का अर्जन करने के लिये खण्ड (स) के उपखण्ड (क), (ग) और (च) के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति के लिये पात्र होगा।

टिप्पणी–7 खण्ड (स) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा स्वयं यह समाधान करने के पश्चात् स्वीकृत किया जायेगा कि––

(एक) धनराशि, अभिदाता द्वारा उल्लिखित प्रयोजनों के लिये वास्तव में अपेक्षित है,

(दो) अभिदाता का प्रस्तावित स्थल पर कब्जा है या वह तुरन्त उस पर किसी गृह का निर्माण करने का अधिकार अर्जित करना चाहता है,

टिप्पणी 1

(तीन) प्रत्याहृत धनराशि और ऐसी अन्य निजी बचत, यदि कोई हो, जो अभिदाता का हो, प्रस्तावित प्रकार के गृह के निर्माण, अर्जन अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा,

(चार) गृह स्थल, गृह या तैयार बने फ्लैट के क्रय के लिये प्रत्याहरण के मामले में अभिदाता गृह स्थल, गृह या फ्लैट जिनके अन्तर्गत स्थल भी है, पर निर्विवाद हक प्राप्त करेगा,

(पांच) उपर्युक्त खण्ड (चार) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अभिदाता ने ऐसे आवश्यक विलेख–पत्र और कागजात स्वीकृति प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिये हैं जिससे प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में उसका हक साबित हो।

टिप्पणी–8 खण्ड (स) के उपखण्ड (ख) के अधीन प्रत्याहरण के लिये प्रस्तावित धनराशि और उपखण्ड (क) के अधीन पूर्व प्रत्याहृत धनराशि,यदि कोई हो,आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के दिनॉक को विद्यमान अतिशेष के तीन चौथाई (3/4) से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी–9 खण्ड (स) उपखण्ड (क) या (घ) के अधीन प्रत्याहरण की अनुमति उस दशा में भी दी जायेगी जहां गृह स्थल या गृह पत्नी या पति के नाम में हो। यदि वह अभिदाता द्वारा किये गये नामांकन में भविष्य निधि पाने के लिए प्रथम नामांकिती हो।

स्पष्टीकरण–1 यदि अभिदाता संयुक्त सम्पत्ति में ऐसे अंश से भिन्न जो स्वतंत्र आवासिक प्रयोजनों के लिए उपयुक्त न हो पहले से किसी गृह स्थल या गृह, फ्लैट का स्वामी हो, तो उस यथास्थिति, गृह स्थल या गृह, फ्लैट के क्रय, निर्माण, अर्जन या मोचन के लिए कोई प्रत्याहरण स्वीकृत नहीं कियां जायेगा।

स्पष्टीकरण–2 स्थानीय निकायों से पट्टे पर किसी भूखण्ड के अर्जन या ऐसे भूखण्ड पर गृह निर्माण करने के लिए भी प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकेगी।

स्पष्टीकरण–3 गृह निर्माण के प्रयोजन के लिये, लिये गये किसी प्रकार के ऋण के चाहे वह किसी निजी पक्षकार से या वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5,भाग–1 के अधीन सरकार से या निम्न या मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन लिया गया हो, प्रतिदान के लिये प्रत्याहरण अनुज्ञेय है। 17.प्रत

टिप्पणी–10 नियम 17 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्धारित आर्थिक सीमा के अधीन रहते हुए, मोटर कार, साईकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिये भी प्रत्याहरणों की अनुमति दी जायेगी, चाहे अभिदाता ने वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन उसी प्रयोजन के लिए पहले से ही कोई अग्रिम ले लिया हो, परन्तु इन दोनों स्रोतों से ली गयी कुल धनराशि, यथास्थिति, मोटर साईकिल या स्कूटर के वास्तविक मूल्य से अधिक न हो।

टिप्पणी–11 जीवन बीमा पालिसियों, जिनके संबंध में खण्ड (घ) के अधीन प्रत्याहरण स्वीकृत किया जाय, अभिदाता की पत्नी या पति और संतान या उनमें से किसी एक से भिन्न किसी अन्य हिताधिकारी के लाभ के लिये ली गई

टिप्पणी 12

(1) यदि नियम 13 के अधीन कोई अग्रिम उसी प्रयोजन के लिये और उसी समय स्वीकृत किया जा रहा हो तो इस नियम के अधीन प्रत्याहरण स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(2) जब अभिदाता अपनी सामान्य भविश्य निधि पास बुक या नियम 27 के अधीन लेखाधिकारी द्वारा जारी किये गये सामान्य भविश्य निधि लेखा के नवीनतम उपलब्ध विवरण तथा अनुवर्ती अभिदानों के साक्ष्य के निर्देश में निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का समाधान करने की स्थिति में हो तो सक्षम प्राधिकारी विहित सीमा के भीतर प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है। ऐसा करने में सक्षम प्राधिकारी अभिदाता के पक्ष में पहले से स्वीकृत किसी प्रत्याहरण या अग्रिम को ध्यान में रखेगा। प्रत्याहरण के लिये स्वीकृति में सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या अवश्य इंगित होना चाहिये और उसकी एक प्रति सामान्य निधि पास बुक रखने वाले आहरण एवं वितरण अधिकारी तथा लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित की जायेगी ।

(3) साधारणतया अभिदाता को कोई अग्रिम उसकी सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पूर्ववर्ती अन्तिम छः मास के दौरान स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किसी विशेष मामले में जिसमें ऐसे अग्रिम की स्वीकृति अपरिहार्य हो उसे स्वीकृत किया जा सकता है, किन्तु स्वीकृति प्राधिकारी को यह सुनिश्चत करने का उत्तरदायित्व होगा कि ऐसी स्वीकृति की सूचना समूह "घ" के कर्मचारियों के मामले में लेखा अधिकारी को और अन्य अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी और लेखा अधिकारी को तुरन्त दे दी जाय और उसकी प्राप्ति की सूचना उनसे अविलम्ब प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चत किया जायेगा कि अग्रिम/प्रत्याहरण की धनराशि नियम 24 के उप नियम (4) या उप नियम (5) के खण्ड (ख) के जो भी लागू हो, के अधीन अभिदाता को भुगतान की जाने वाली धनराशि के प्रति सम्यक रूप से समायोजित की जाय।

17.प्रत्याहरण की शर्ते :

(1) किसी अभिदाता द्वारा निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से नियम 16 के खण्ड (क), (ग), (घ) या (ङ) में विनिर्दिष्ट किसी एक या अधिक प्रयोजनों के लिये किसी एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। विशेष मामलों में स्वीकृति प्राधिकारी (एक) ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा है, और (दो) निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक ध्यान रखते हुये, इस सीमा से अधिक धनराशि का, जो निधि में उसके जमाखाते के अतिशेष के तीन चौथाई तक हो सकती है, प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है:

परन्तु किसी भी मामले में नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उप खण्ड (घ) और (ङ) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के [illegible] की धनराशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 1

गृह निर्माण के मामले में यदि प्रत्याहरण की धनराशि 1,25,000 रुपये से अधिक हो तो साधारणतया दो किस्तों में उसके आहरण की अनुज्ञा दी जायेंगी। फिर भी यदि अभिदाता ने प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि को एक किस्त में निर्मुक्त किये जाने के लिये आवेदन किया गया है और स्वीकृति प्राधिकारी को उसके लिये दिये गये औचित्य के संबंध में समाधान हो जाय को तद्नुसार सम्पूर्ण धनराशि को निर्मुक्त किया जा सकता है। स्वीकृति प्रत्याहरण की सम्पूर्ण धनराशि के लिये जारी की जायेगी और यदि उसका आहरण किस्तों में किया जाना हो तो उसकी संख्या स्वीकृति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जायेगी।

टिप्पणी 2 :

(क) किसी स्थल, गृह या फ्लैट के एकदम क्रय के लिये या नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (स) के उपखण्ड (घ) में या इस प्रयोजन के लिये, लिये गये ऋण के प्रतिदान के लिये एक किस्त में प्रत्याहरण की अनुमति दी जा सकती है, जो रुपये 40,000 से अधिक नहीं होगी। ऐसे मामलों में जहां अभिदाता को क्रय किये गये स्थल या गृह या फ्लैट के लिये या किसी योजना के अधीन, जिसके अन्तर्गत किसी विकास प्राधिकरण, आवास परिषद, स्थानीय निकाय या गृह निर्माण सहकारी समिति की स्व–वित्त पोषित योजना भी है, निर्मित गृह या फ्लैट के लिये किस्तों में भुगतान करना पड़े, तो जब–जब उससे किसी किस्त का भुगतान करने के लिये कहा जाय उसे प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा दी जायेगी। प्रत्येक ऐसे भुगतान को नियम 16 के उप नियम (1) के प्रयोजनों के लिये पृथक प्रयोजन के लिये भुगतान समझा जायेगा।

(ख) नियम 16 के उप नियम (1) के खण्ड (ब) के उप खण्ड (एक) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 50,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या यथास्थिति, मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) का वास्तविक मूल्य, इनमें जो भी कम हो, होगी।

(ग) नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (ब) के उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रत्याहरण की धनराशि की सीमा 5,000 रुपये या निधि में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि की आधी या मरम्मत या ओवरहॉलिंग करने की वास्तविक धनराशि, इनमें से जो भी कम हो होगी।

(2) अभिदाता जिसको नियम 16 के अधीन निधि से धन निकालने की अनुज्ञा दी गयी हो, स्वीकृति प्राधिकारी का ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो उस प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, समाधान करेगा कि धन का प्रयोग उस प्रयोजन के लिये कर लिया गया है जिसके लिये उसका प्रत्याहरण किया गया था और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो इस प्रकार प्रत्याहृत सम्पूर्ण धनराशि उसके ऐसे भाग का जिसका उपयोग उस प्रयोजन के लिये जिसके लिये वह प्रत्याहृत किया गया था, नहीं किया गया है, प्रतिदान अभिदाता द्वारा निधि में एकमुश्त धनराशि में किया जायेगा और ऐसा भुगतान न करने पर स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा उसकी परिलब्धियों से या तो एकमुश्त धनराशि में या मासिक किस्तों की ऐसी संख्या में जैसी अवधारित की जाय, वसूल किये जाने का आदेश दिया जायेगा।

टिप्पणी 1 : विवाह के लिये किसी प्रत्याहरण का उपयोग तीन मास के भीतर किया जायेगा।

टिप्पणी 2 : गृह का निर्माण धनराशि के प्रत्याहरण के छः मास के भीतर प्रारम्भ किया जायेगा और उसे निर्माण प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिये, किन्तु यदि गृह का क्रय या मोचन किया जाना हो या उस प्रयोजन के लिये इसके पूर्व लिये गये किसी निजी ऋण का प्रतिदान करना हो तो उसे प्रत्याहरण के तीन मास के भीतर कर लिया जाना चाहिए।

टिप्पणी 3 : गृह स्थल का क्रय, यथास्थिति प्रत्याहरण या प्रथम किस्त के प्रत्याहरण के एक माह की अवधि के भीतर किया जायेगा। इस शर्त की पूर्ति के संबंध में स्वीकृति प्राधिकारी स्थल के क्रय हेतु भुगतान करने के लिये यथास्थिति प्रत्याहरण या किसी प्रत्याहरण किस्त की धनराशि का उपयोग कर लिये जाने के प्रतीक स्वरूप विक्रेता, गृह निर्माण समिति आदि द्वारा दी गयी रसीदें प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा।

स्पष्टीकरण : विक्रय या अन्तरण विलेख के संबंध में किये गये वास्तविक व्यय को गृह या गृह स्थल की लागत के भाग के रूप में संगणित किया जा सकता है।

टिप्पणी 4 : किसी बीमा पालिसी के लिये प्रत्याहरण का उपयोग उस दिनांक तक किया जायेगा जिस दिनांक को प्रीमियम का भुगतान किया जाना हो और अभिदाता से जीवन बीमा निगम द्वारा दी गयी रसीद की प्रमाणित या फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी,ऐसा न करने पर इस प्रयोजन के लिये कोई अग्रेतर प्रत्याहरण की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

टिप्पणी

(3) कोई अभिदाता जिसे नियम 16 के उपनियम (1) के खण्ड (स) के उपखण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन निधि में अपने जमा खाते में विद्यमान धनराशि से धन प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दी गयी हो, राज्यपाल की पूर्व अनुज्ञा के बिना इस प्रकार प्रत्याहृत धनराशि से निर्मित या अर्जित किये गये गृह या क्रय किये गये गृह स्थल के कब्जे से चाहे विक्रय, गिरवी (राज्यपाल को गिरवी से भिन्न) दान विनियम द्वारा या अन्य प्रकार से, अलग नहीं होगा।

19. बीमा पॉलि

परन्तु ऐसी अनुज्ञा–

(एक) तीन वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिये पट्टे पर दिये गये गृह या गृह स्थल के लिये, **या**

(दो) आवास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम के या केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निगम के, जो नये गृह के निर्माण के लिये या किसी वर्तमान गृह में परिवर्धन या परिवर्तन करने के लिये ऋण देता हो, पक्ष में उसके गिरवी रखे जाने के लिये, आवश्यक नहीं होगी।

8. अग्रिम का प्रत्याहरण में परिवर्तन :

नियम 13 के उप नियम (4) के अधीन विशेष कारणों से अग्रिम स्वीकृत करने के लिये सक्षम प्राधिकारी ऐसे अभिदाता के जिसने किसी ऐसे प्रयोजन के लिये जिसके लिये नियम 16 के अधीन अन्तिम प्रत्याहरण भी अनुमन्य हो,नियम 13 के अधीन अस्थायी अग्रिम पहले ही आहरित कर लिया हो,लिखित अनुरोध पर,नियम 16 और 17 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर, अग्रिम के देय अतिशेष को प्रत्याहरण में परिवर्तित कर सकता है।

टिप्पणी 1 : आहरण एवं वितरण अधिकारी ऊपरिलिखित सक्षम प्राधिकारी में किसी अग्रिम के प्रत्याहरण में परिवर्तन करने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर वेतन बिल से वसूली रोक देगा। ऐसे राजपत्रित अभिदाताओं के मामले में जो स्वयं आहरण अधिकारी हों, सक्षम प्राधिकारी ऐसे परिवर्तन संबंधी आदेश की एक प्रति कोषागार अधिकारी को जहॉ से अभिदाता अपना वेतन आहरित करता हो,पृष्ठांकित करेगा, जिससे कि कोषागार अधिकारी अग्रेतर वसूलियों को रोक सके। परिवर्तन के प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी अपने आदेश की एक प्रति लेखा अधिकारी को भी पृष्ठांकित करेगा।